उत्तर प्रदेश शासन
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2
सं0-2815/62-2-2016-12एम0आई0/2015
लखनऊ: दिनांक: 08 फरवरी,2017

कार्यालय ज्ञाप

जनपद इलाहाबाद के मेजा विकास खण्ड में आर0आई0डी0एफ0-15 योजना के अन्तर्गत नव-निर्मित ब्लास्ट कूपों एवं कूपों के जीर्णोद्धार के निर्माण के कार्य में गम्भीर अनियमितता की जॉच में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के फलस्वरूप श्री टी0एस0 तिवारी, तत्कालीन सहायक अभियंता, ब्लास्टिंग,लघु सिंचाई जनपद इलाहाबाद सम्प्रति सहायक अभियंता, लघु सिंचाई जनपद फतेहपुर एवं श्री राकेश कौशल, अवर अभियंता लघु सिंचाई ब्लास्टिंग, लघु सिंचाई, इलाहाबाद को आरोप पत्र देते हुए उनके विरूद्ध उ0 प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए श्री ए0के0 श्रीवास्तव, अधीक्षण् अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त, बरेली को जॉच अधिकारी नियुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि उक्त अधिकारी के विरूद्ध जॉच की कार्यवाही पूर्ण कर एक माह के भीतर जॉच आख्या शासन को उपलब्ध करायें।

मोनिका एस. गर्ग,
प्रमुख सचिव।

सं0-2815(1)/62-2-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- श्री ए0के0 श्रीवास्तव, अधीक्षण् अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त, बरेली/जॉच अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि श्री टी0एस0 तिवारी, तत्कालीन सहायक अभियंता, ब्लास्टिंग,लघु सिंचाई जनपद इलाहाबाद सम्प्रति सहायक अभियंता, लघु सिंचाई जनपद फतेहपुर एवं श्री राकेश कौशल, अवर अभियंता, लघु सिंचाई ब्लास्टिंग, लघु सिंचाई, इलाहाबाद के विरूद्ध अनुमोदित आरोप पत्र की दो-दो प्रतियॉ संलग्नकर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह कृपया आरोप पत्र संबंधित अधिकारी को तामील कराकर तामीली की सूचना से शासन को अवगत कराये तथा जॉच की कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या शासन को एक माह के भीतर उपलब्ध करायें।
2- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ के पत्र सं0-2767/स्था0-1(92)/व्य0पत्रा0/2016, दिनांक 21.7.2016 एवं पत्र सं0-जी-649/स्था0-1(92)/व्य0पत्रा0/2016, दिनांक 04.11.2016 के संबंध में।
3- संबंधित अधिकारी द्वारा मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ।
4- संबंधित अधिकारियो की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(राम किंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in